फर्द अहकाम

बनाम

...ालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू

...ा /

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12/11/18	फैसला सुनाया गया है। पृथक डिक्री जारी की। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू	

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू (जयपुर)
पीठासीन अधिकारी– **श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर आर.ए.एस.**
राजस्व वाद–पत्र संख्या : 42 / 2015
वाद दायरी दिनांक : 07 / 04 / 2015
निर्णय दिनांक : 12/12/2018

घासी उम्र 60 साल पुत्र श्री उदा, जाति बलाई, निवासी नासनोता, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

–– वादी

–बनाम–

1. नारायण पुत्र उदा, जाति बलाई, निवासी नासनोदा तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. दिनेश पुष्पलता पुत्री श्री बद्रीप्रसाद, जाति जाटव, निवासी एस 22, श्री गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।
3. दिनेशकुमार पुत्र श्री लेखराज जाति चमार, निवासी बरूआ, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, उत्तरप्रदेश हाल निवासी रहेजा टॉवर पत्रकार कॉलोनी, जयपुर, ज़िला जयपुर, राज0।
4. पारादेवी पत्नी बाबूलाल बैरवा, जाति बैरवा, निवासी नासनोदा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
5. बलिष्टराम पुत्र दुखनराम, जाति हरिजन, निवासी प्लॉट नम्बर डी 152, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली।
6. राजकिशोर गोठवाल पुत्र भंवरलाल गोठवाल, जाति बैरवा, निवासी 144, नन्दपुरी कॉलोनी, हवा सड़क बाइस गोदाम, जयपुर, जिला जयपुर, राज0।
7. सीताराम पुत्र जोहरी, जाति बलाई, निवासी नासनोदा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
8. तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

–– प्रतिवादीगण

वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955)

उपस्थिति - **श्री भैरूलाल शर्मा**
विद्वान अधिवक्ता वादी
श्री कन्हैयालाल माली
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
श्री अतुल शर्मा
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2
प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 के विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गई।
प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि उपर्युक्त उनवान प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.2017 को इस आशय का प्राथमिक डिक्री किया गया कि "अतः वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात खतौनी संख्या 31के आराजी खसरा नम्बर 262 रकबा 13.86 हैक्टेयर वाके ग्राम नासनोता, तहसील मौज्मबाद, जिला जयपुर का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बोण्डस (अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी) के सिद्धांत के अनुसार तकासमा किया जाकर खाता अहलदा – अहलदा किया गया एवं तहसीलदार मौजमाबाद को नक़्शे कुरेजात दो प्रतियों में तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया था।"

दिनांक 27/06/2017 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट मुकाम गाडोता में पेश हुयी। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से एडवोकेट श्री अतुल शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया तथा एडवोकेट श्री अतुल शर्मा ने प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व 7 सपठित धारा 151 सीपीसी, प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं प्रार्थना – पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। नक़ल वादी को दिलायी गयी।

दिनांक 25/06/2018 को तहसीलदार मौजमाबाद के पत्र क्रमांक / भू.अ. / 18 / 1807 दिनांक 19/04/2018 के द्वारा नक़्शे कुरेजात प्राप्त होने के पश्चात शामिल पत्रावली किये गये। दिनांक 08/08/2018 को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रार्थना – पत्र बाबत आपत्ति नक़्शे कुरेजात पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व 7 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं प्रार्थना – पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी को नोट प्रेस किया गया। प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित

Scanned by CamScanner

धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 का नाम दिनेश पुष्पलता से दुरुस्त कर पुष्पलता किया गया जिसका वाद – पत्र में लाल स्याही से अंकन किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नक़्शे कुरेजात एवं प्रार्थना – पत्र बाबत आपत्ति नक़्शे कुरेजात में नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की नक़्शे कुरेजात एवं प्रार्थना – पत्र पर बहस सुनी गयी। विद्वान् अधिवक्ता पक्षकारान ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थना – पत्र बाबत आपत्ति नक़्शे कुरेजात के साथ प्रस्तुत नक्शा नमूना के मुताबिक नक़्शे कुरेजात में संशोधन करके तथा उसके अनुसार प्रकरण डिक्री कर दिया जावे, जिसमे वकील पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मौजमाबाद से प्राप्त नक़्शे तथा प्रार्थना – पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा नमूने का गहनता से अवलोकन किया। नक़्शे कुरेजात मुताबिक आदेश के तैयार होकर प्राप्त हुये हैं जिसमे पक्षकारान को मात्र स्थिती की आपत्ति है तथा अधिवक्ता पक्षकारान द्वारा नक्शा नमूना के अनुसार संशोधित नक़्शे कुरेजात तैयार करवाकर वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के मुताबिक नक़्शे कुरेजात में संशोधन कर वाद अंतिम डिक्री किया उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार मौजमाबाद को आदेश दिया जाता है कि पश्चिम से पूर्व क्रमशः पुष्पलता पुत्री श्री बद्रीप्रसाद जाटव, मालीराम पुत्र मांगीलाल खटीक, पारादेवी पत्नी बाबूलाल बैरवा, घासी पुत्र उदा, कौम बलाई, फूला देवी पत्नी उदा बलाई, नारायण पुत्र उदा बलाई, बलिष्टराम पुत्र दुखनराम, दिनेश कुमार चमार पुत्र लेखराज चमार, सीताराम दत्तक पुत्र जोहरी बलाई, राजकिशोर गोठवाल पुत्र भंवरलाल गोठवाल को स्थान देते हुए संशोधित नक़्शे कुरेजात तैयार किये जावें।

वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम नासनोता, तहसील मौजामबाद का पक्षकारान के मध्य मुताबिक संशोधित नक़्शे कुरेजात बंटवारा किया जाकर खाता अलहदा – अलहदा निम्न प्रकार किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा है. में
1.	पुष्पलता पुत्री श्री बद्रीप्रसाद, जाति जाटव, निवासी एस 22, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। खातेदार	262 मि. कुल किता 1	2.7720 कुल रकबा 2.7720 है.

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) दूदू

Scanned by CamScanner

2.	मालीराम पुत्र मांगीलाल, कौम खटीक, सा. देह खातेदार।	262 मि. कुल किता 1	0.99 कुल रकबा 0.99 है.
3.	पारादेवी ध. प. बाबूलाल कौम बैरवा सा. देह खातेदार।	262 मि. कुल किता 1	0.6930 कुल रकबा 0.6930 है.
4.	घासी पुत्र उदा कौम बलाई सा. देह खातेदार।	262 मि. कुल किता 1	1.1550 कुल रकबा 1.1550 है.
5.	फूला ध. प. स्व. उदा कौम बलाई सा. देह खातेदार।	262 मि. कुल किता 1	1.1550 कुल रकबा 1.1550 है.
6.	नारायण पुत्र उदा कौम बलाई सा. देह खातेदार।	262 मि. कुल किता 1	1.1550 कुल रकबा 1.1550 है.
7.	बलिष्टराम पुत्र दुखनराम, जाति हरिजन सा. प्लाट नम्बर डी 152, ईस्ट ऑफ़ कैलाश, नई दिल्ली।	262 मि. कुल किता 1	1.7325 कुल रकबा 1.7325 है.
8.	दिनेश कुमार चमार पुत्र लेखराज चमार, निवासी बरुआ, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, उत्तरप्रदेश, हाल निवासी रहेजा टावर, पत्रकार कॉलोनी, जयपुर, जिला जयपुर, राज.।	262 मि. कुल किता 1	0.2475 कुल रकबा 0.2475 है.
9.	सीताराम दत्तक पुत्र जोहरी, कौम बलाई सा. देह खातेदार।	262 मि. कुल किता 1	2.4750 कुल रकबा 2.4750 है.
10.	राजकिशोर गोठवाल पुत्र भंवरलाल गोठवाल, जाति बैरवा सा. प्लाट नम्बर 144, नन्दपुरी कॉलोनी, हवा सड़क बाईस गोदाम, जयपुर, राज.।	262 मि. कुल किता 1	1.4850 कुल रकबा 1.4850 है.

पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 03/12/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलेक्टर (फ़ास्ट ट्रेक)
दूदू, जिला जयपुर राज. ।

Scanned by CamScanner

(आ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अंतिम डिक्री

अदालत न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू (जयपुर) श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर आर.ए.एस.

[illegible] पुत्र उदा जाति बलाई बनाम 1. नारायण पुत्र उदा जाति बलाई निवासी [illegible] गाडोता बाबत तकासमा [illegible] व अन्य मिति क्र. 1 ता० 8

मुकदमा नं. 42/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री [illegible] शर्मा मिनजानिब मुद्दई श्री कन्हैयालाल सैनी, श्री [illegible] शर्मा मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम [illegible], तह० मौजमाबाद का [illegible] मुताबिक, सम्बन्धित नक्शा मुताबिक बटवारा किया जाकर अलहदा-अलहदा किया जाता है :-

मुतालिग .... बाबत ....

और इस मुकदमे का खर्चा मुद्दई .... फीसदी .... सालाना ....

बतौर अदायगी तक .... का अदा करे।

बसबूत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 12 2018 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू

दस्तखत ....

ओहदा ....

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			गुतफरिक		
गुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Scanned by CamScanner

12/12

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख० नं०	रकबा, है.
1.	पुष्पलता पुत्री [illegible] जाति जाट, निवासी मकान 22, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर खातेदार	262 मि. कुल किता 1	2.7720 कुल रकबा 2.7720 है०
2.	मालीराम पुत्र मांगीलाल, कौम [illegible], सा. देह खातेदार।	262 मि. कुल किता 1	0.99 कुल रकबा 0.99 है०
3.	पारवती वि.प. बाबूलाल कौम बैरवा सा. देह खातेदार	262 मि. कुल किता 1	0.6930 कुल रकबा 0.6930 है०
4.	[illegible] पुत्र [illegible] कौम बलाई सा. देह खातेदार।	262 मि. कुल किता 1	1.1550 कुल रकबा 1.1550 है०
5.	फूली वि.प. स्व. [illegible] कौम बलाई सा. देह खातेदार।	262 मि. कुल किता 1	1.1550 कुल रकबा 1.1550 है०
6.	नारायण पुत्र [illegible] कौम बलाई सा. देह खातेदार	262 मि० कुल किता 1	1.1550 कुल रकबा 1.1550 है०
7	[illegible] पुत्र [illegible], जाति [illegible] हा.मु. प्लाट नम्बर डी 152, [illegible] कॉलोनी, नई दिल्ली	262 मि० कुल किता 1	1.7325 कुल रकबा 1.7325 है०
8.	दिनेश कुमार पंवार पुत्र [illegible] पंवार निवासी [illegible] तह० [illegible], जिला उन्नाव, उत्तरप्रदेश हाल निवासी [illegible] कॉलोनी, जयपुर, जिला जयपुर राज०।	262 मि० कुल किता 1	0.2475 कुल रकबा 0.2475 है०
9.	[illegible] पुत्र [illegible], कौम बलाई सा. देह खातेदार	262 मि. कुल किता 1	2.4750 कुल रकबा 2.4750 है०
10.	राजकिशोर गोठवाल पुत्र [illegible] गोठवाल जाति बैरवा, हा.मु. प्लाट नम्बर 144, [illegible] कॉलोनी, [illegible] रोड, [illegible], जयपुर राज.	262 मि. कुल किता 1	1.4850 कुल रकबा 1.4850 है०

सहायक कलेक्टर